बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 5

09 अग्रहायण, 1940 (श.)

शुक्रवार, तिथि ----------

30 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 24

1.	शिक्षा विभाग	....	....	21
2.	खान एवं भूतत्व विभाग	....	....	01
3.	धार्मिक न्यास विभाग	....	....	01
4.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**24**

बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 61. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिनांक-06 अक्टूबर, 2018 को सुपौल जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डपरखा, त्रिवेणीगंज की 34 छात्राओं को बदमाशों (गुंडों) ने छात्रावास में घुसकर उनकी पिटाई करके बुरी तरह घायल कर अधमरा कर दिया था, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस घटना को अंजाम देने में 20 से अधिक संख्या में बदमाश लोग थे, परन्तु अभी तक कुल 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका है, जिससे विद्यालय में दहशत का माहौल व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि बाकी सभी बदमाशों की गिरफ्तारी करने एवं भविष्य में इस तरह की घटना न हो, के लिए कौन-सी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

फर्जी ई-चालान से बालू ढुलाई

***** 62. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि 1 अक्टूबर से राज्य में पुन: बालू का खनन शुरू किया गया है, जिसमें सभी बालू घाटों को धर्मकांटा से जोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अब बालू की ढुलाई के लिए इन्हीं धर्मकांटा से ई-चालान निर्गत किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बालू माफिया ने धर्मकांटा से जारी ई-चालान को स्कैन करके डुप्लीकेट चालान से बालू की ढुलाई शुरू कर दी है जिससे विभाग को राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है, साथ ही कई स्थानों से बालू का अवैध खनन भी किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फर्जी ई-चलान के माध्यम से बालू ढुलाई करने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजा की राशि

***** 63. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, धार्मिक न्यास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के एम.आई.सी. नं.-3/92 में पारित आदेश के आलोक में लक्ष्मी नारायण दास के नाम से मौजा कचहरी पर थाना नं.-58, अंचल सोनवर्षा, सीतामढ़ी के खाता नं.-422, खेसरा नं.-935, रकबा-0.08 ए. एवं खाता नं.-436, खेसरा नं.-2392, 2393, रकबा-क्रमश: 0.15 ए., 0.24 को निज सम्पत्ति घोषित किया है;

(ख) क्या यह सही है कि विशेष जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक-1801, दिनांक-22.12.17 को सचिव, धार्मिक न्यास परिषद्, पटना से मुआवजा भुगतान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केस संख्या-एम.आई.ए.सी. 03/92 से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं संबंधित व्यक्ति को मुआवजा राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

***** 64. **श्री रामईश्वर महतो** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अन्तर्गत प.-मासर-मछहा, ग्राम-पकड़ी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पकड़ी (संस्कृत) में भवन निर्माण का कार्य कुछ वर्ष पहले कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि भवन निर्माण के कुछ दिनों बाद छतों से बालू, दीवार का प्लास्टर और फर्श से बालू निकलना शुरू हो गया है;

(ग) क्या यह सही है कि छतों की दयनीय स्थिति को देखते हुए बच्चे उस भवन में बैठकर पढ़ने से डरते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पकड़ी (संस्कृत) में बने भवन की गुणवत्ता की जांच किसी वरीय पदाधिकारी से कराकर सभी दोषी पदाधिकारी, जिसने भवन बनाते समय निरीक्षण किया एवं संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है ?

कार्रवाई कबतक

***** 65. **श्री. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में कई शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं जबकि कार्यालय में मूलकर्मी उपलब्ध हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

ग्रेड पे की उपलब्धता

***** 66. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नियोजित संगीत, ललित एवं नृत्यकला शिक्षक ग्रेड पे की सुविधा से वंचित हैं, जबकि नियोजित नियमावली में साफ निर्देशित है कि नियोजन के दो वर्ष उपरांत ग्रेड पे की सुविधा देय है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्हता प्राप्त वैसे शिक्षकों को ग्रेड पे की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहेगी जो अब तक वंचित हैं, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जांच कराने का विचार

***** 67. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्वीकृत 69 संस्कृत विद्यालयों में कई कोटि के पुराने संस्कृत विद्यालय भी शामिल हैं जिनकी 1993 प्रस्वीकृति नियमावली से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी से जांच कराई जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पुराने प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों पर 1993 प्रस्वीकृति नियमावली से जांच कराना नियम एवं हाईकोर्ट पटना के निर्णय के विरुद्ध है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 69 संस्कृत विद्यालयों में शामिल पुराने प्रस्वीकृत विद्यालयों को 1976 नियमावली से जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतनादि की व्यवस्था

***** 68. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से स्वीकृत विद्यालयों की तरह निर्धारित मानक मंडल के आधार पर शिक्षक के पद सृजित नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिना पद सृजन एवं विषय शिक्षकों की नियुक्ति के ही नामांकन हो रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत लगातार 6 से 9 महीनों तक का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण विद्यालयों में पठन-पाठन नहीं हो पाता है और शिक्षकों की आर्थिक परेशानी बढ़ रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक मंडल के अनुसार पदों का सृजन, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रतिमाह वेतनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है ?

समस्याओं का निराकरण

***** 69. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में कई महाविद्यालय हैं जिनमें किसी भी महाविद्यालय में वाणिज्य की पढ़ाई नहीं होती है साथ ही कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज एवं गोपेश्वर महाविद्यालय, हथुवा में स्नातकोत्तर वर्ग में सिर्फ राजनीति विज्ञान एवं गणित को छोड़कर अन्य किसी भी विषय की पढ़ाई संकाय एवं प्राध्यापक के अभाव में नहीं होती है जिससे छात्र-छात्राओं को उच्चतर शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है एवं उच्चतर शिक्षा हासिल कर पाना उनके लिए कठिन साबित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि महेन्द्र महिला महाविद्यालय, गोपालगंज में विगत कई वर्षों से विज्ञान वर्ग की पढ़ाई बंद है जिससे छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गोपालगंज के छात्र-छात्राओं के सुनहरे भविष्य हेतु उपर्युक्त सभी समस्याओं का निराकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

***** 70. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा करने के बावजूद राज्य के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं डिग्री कॉलेजों को अद्यतन अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अनुदान का भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के लाखों शिक्षकों एवं उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है और इसका कुप्रभाव बच्चों के पठन-पाठन पर पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घोषित अनुदान की राशि का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नये भवन का निर्माण

***** 71. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मिलर हाई स्कूल में कई विद्यालयों को स्थानांतरित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि यह छात्र-छात्राओं के साथ खिलवाड़ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इन छात्र-छात्राओं को जर्जर भवन से बाहर निकालकर नये भवन में ले जाएगी ?

नियमित वेतन भुगतान

***** 72. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित अल्पसंख्यक (+2) विद्यालय मीठापुर में कार्यरत शिक्षिका श्रीमती रूप राधा एवं श्रीमती प्रियंका पाण्डेय का नियुक्ति अनुमोदन शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक-क्रमश: 825, दिनांक-18.08.2017 एवं 864 दिनांक-28.08.2017 के द्वारा निरस्त तथा शिक्षिका सुश्री रेखा रानी एवं शिक्षक श्री अभिषेक कुमार सिंह का नियुक्ति अनुमोदन ज्ञापांक क्रमश: 529, दिनांक-22.05.2017 एवं 439, दिनांक-27.04.2017 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-8044, दिनांक-25.10.2018 द्वारा निर्गत आदेश में पात्रता अर्हता को विलोपित कर प्रियंका पाण्डेय एवं रूप राधा को कार्यरत अवधि एवं नियमित भुगतान का आदेश देकर उन्हें भुगतान दिया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' की भांति रेखा रानी एवं अभिषेक कुमार सिंह का भी नियुक्ति अनुमोदन स्वीकृत करने एवं उनका बकाया तथा नियमित वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

संसाधन कबतक

***** 73. **श्री टुन जी पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिले के दरौली प्रखंड के नेपुरा गांव का प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन है

(ख) क्या यह सही है कि इस प्राथमिक विद्यालय में शौचालय एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस भवन विहीन, शौचालय विहीन एवं संसाधन विहीन विद्यालय को कबतक संसाधन युक्त करना चाहती है ?

शिक्षकों का पदस्थापन

***** 74. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत +2 डी.एम. एकेडमी उच्च विद्यालय, बगहा अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि +2 डी.एम. एकेडमी उच्च विद्यालय, बगहा में इण्टरमीडिएट में आर्टस (कला) एवं विज्ञान में छात्र नामांकित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि +2 डी.एम. एकेडमी उच्च विद्यालय में इण्टरमीडिएट में शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों का पठन-पाठन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के हित में इण्टरमीडिएट शिक्षकों का पदस्थापन +2 डी.एम. एकेडमी उच्च विद्यालय, बगहा में करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतन भुगतान की व्यवस्था

***** 75. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा धड़ल्ले से मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त उत्क्रमित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक शिक्षक, लिपिक एवं आदेशपाल के पद सृजित नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त उत्क्रमित विद्यालयों के संचालन हेतु अबतक नियम नहीं बनाये जाने के कारण उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को कम योग्याताधारी शिक्षकों के अधीन कार्य करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त उत्क्रमित विद्यालयों में पदों का सृजन, संचालन के लिए नियम एवं शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था कबतक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है ?

प्रतिनियुक्ति पर लगाम

***** 76. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नवसृजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का गठन मार्च, 2018 में ही हुआ है, लेकिन अभीतक संसाधन एवं कर्मियों का बंटवारा मगध विश्वविद्यालय से नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय से संसाधन एवं कर्मियों का बंटवारा नहीं होने की स्थिति में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा पटना के स्थानीय कॉलेज कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जबरन विश्वविद्यालय में की जा रही है, जिनके साथ वेतन भुगतान की भी समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय में ऐसे कॉलेज कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है जो दिव्यांग हैं, जिससे कॉलेज कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमत: मगध विश्वविद्यालय से संसाधन एवं कर्मियों का बंटवारा करने की प्रक्रिया पर अमल करवाने तथा तत्काल सेवानिवृत्त कर्मियों की अनुबंध पर नियुक्ति करने एवं कॉलेज कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर लगाम लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

भवन का निर्माण कबतक

***** 77. **श्री रामईश्वर महतो** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अन्तर्गत पं.- मासर-मछहा, ग्रा. पकड़ी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में बिहार शिक्षा परियोजना एवं एन.पी.ई.जी.एल. द्वारा दो अलग-अलग भवनों का निर्माण कार्य कुछ वर्षों पहले शुरू किया गया था, जिसे अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या यह सही है कि भवन के अभाव में बच्चों के पठन-पाठन का कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों की पढ़ाई कक्षा में सुचारु रूप से चले, इन दोनों अधूरे पड़े भवन का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

वेतनमान एवं भत्ता का प्रावधान

***** 78. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीय संकल्प द्वारा यह अधिसूचित है कि राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अनुदानित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को भी राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों की भांति ही वेतनमान एवं अन्य भत्ते का प्रावधान है लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संकल्प का अनुपालन करते हुए सदृश सुविधा का लाभ मदरसा-संस्कृत के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को भी देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों, हां तो कबतक ?

वेतनमान का लाभ

***** 79. **श्री केदार नाथ पाण्डेय, प्रो. संजय कुमार सिंह** एवं **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि संकल्प संख्या-162, दिनांक-15.2.2011 को मंत्री परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक-15.2.2011 के बाद मदरसा में नियुक्त नियोजित शिक्षकों को उच्च विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को वर्तमान में देय नियत वेतन के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा;

(ख) क्या यह सही है कि 27 अगस्त, 2013 को मंत्री परिषद् (कैबिनेट मीटिंग) में उच्च विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालय के साथ-साथ संकल्प संख्या-162, दिनांक-15.2.2011 के आलोक में मदरसा में नियोजित शिक्षकों को भी एकमुश्त 3000/-रु. वेतन बढ़ाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि 1128 कैटेगरी में दिनांक-15.2.2011 से 31.8.2013 के बीच नियुक्त मदरसा शिक्षकों का मुकदमा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में चल रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि कैटेगरी सं.-205, 609 एवं 1128 में नियुक्त वैसे नियोजित मदरसा शिक्षकों, जिनकी नियुक्ति दिनांक-31.8.2013 के बाद हुई है, इन कर्मियों का कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और न ही लंबित है जबकि दिनांक-1.7.2015 के प्रभाव से प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित मदरसा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कम्प्यूटर शिक्षकों की सेवा

***** 80. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेल्ट्रान द्वारा बाह्य प्रदाता से बहाल बिहार के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के कम्प्यूटर शिक्षकों से संबंधित विषय राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमितीकरण के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ नहीं सौंपा गया है जबकि समरूप प्रक्रिया के तहत बहाल डेटा इंट्री ऑपरेटर का मामला सौंपा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के कम्प्यूटर शिक्षक 450 से अधिक दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं परन्तु उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व से नियोजित कम्प्यूटर शिक्षकों के सेवा नियमितीकरण पर निर्णय लिए बिना ही पुन: कम्प्यूटर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व से बहाल बिहार के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के कम्प्यूटर शिक्षकों की सेवा नियमित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विद्यालय भवन का निर्माण

***** 81. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के चोरौत प्रखंड के श्री लखन नारायण स्मारक उच्च विद्यालय, चोरौत में लगभग 1500 छात्र-छात्राएं पठन-पाठन करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की आधारभूत संरचना वाली एजेन्सी के द्वारा धीमी गति से भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता का घोर अभाव है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में भवन एवं शौचालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण सरकारी मापदंड के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अनियमितता पर कार्रवाई

***** 82. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य खेल पुरस्कार में बिहार के खिलाड़ियों की उपेक्षा की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ी को ज्यादा राशि दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इसमें हुई अनियमितता पर राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

ग्रेड पे देने पर विचार

***** 83. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्राथमिक, मध्य-माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अप्रशिक्षित प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के बाद ग्रेड पे देने का विभागीय प्रावधान किया गया है जिससे शिक्षकों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-5122/2018 के तहत दिये गये न्याय निर्णय में प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ही उनके निर्धारित मापदंड का ग्रेड पे देने का आदेश जारी किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय निर्णय के आलोक में प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमश: 2000/रु., 2400/- रु. तथा 2800/- रु. ग्रेड पे उनकी नियुक्ति की तिथि से देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियोजन का विचार

***** 84. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2011-12 में एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं होने की वजह से इनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में पंचम चरण शिक्षक नियोजन को रद्द कर दिए जाने की वजह से प्रदेश भर के लगभग 5700 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शिक्षकों का पद रिक्त है जो कि इनके नियोजन से भरा जा सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि इनके नियोजन की बजाय अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता दी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि एस.टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, जिनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त प्राय है उनके नियोजन का इच्छुक है;

(ड) यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 30 नवम्बर, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्